



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700001

दिनांक: 02.02.2024

कार्यालय ज्ञापन सं. 15/2024

कार्यालय ज्ञापन सं. 109/2023 दिनांक 31.10.2023 को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 155 के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबंधित प्रत्येक अवसर पर रु. 25,000/- से अधिक और रु. 2,50,000/ तक की लागत वाले सामान की क्रय हेतु बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित कर तत्काल प्रभाव से स्थानीय क्रय समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :-

1.	श्री पी.सी. बोरो, संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक;
2.	श्री ज्योति अर्णव गोस्वामी, स.ले.अ.
3.	श्री सुभा देब लाहिड़ी, स.प्र.अ.
4.	श्री रमेश चंद्र शर्मा, स.प्र.अ.


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	ऊपर सूचीबद्ध सभी अधिकारी	
2.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष एवं सचिव को छोड़कर)	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ	
4.	अनु. नि. .	
5.	सं. अनु. नि. (पी सी बी)	
6.	उपाध्यक्ष के सचिव	
7.	संपदा अधिकारी (प्रभारी)	
8.	वि.स. एवं मु.ले.अ एवं सचिव के निजी सहायक	
9.	आई टी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
10.	टी बी ई ए	
11.	सुरक्षा अनुभाग	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ. मिसिल सं. 1(8)/2005/एसओ/भाग- I